कहानी न्याय के लिए लड़ाई की

"हम महिलाएं कभी भी किसी बात के लिए लड़ाई नहीं करती हैं, इसलिए हमारे साथ यह होता है। गांव के सभी लोगों को मालूम है कि ठगनी बाई का ससुर अपनी बहू पर गलत नज़र रखता था और इसीलिए उसने ठगनी बाई की हत्या कर दी। हम ज़रूर आवाज़ उठाएंगी, अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगी तो आगे भी हमारे साथ ऐसा अन्याय होता रहेगा।"

कुमारी बाई उर्फ ठगनी बाई का ब्याह 15 साल की उम्र में तोरला गांव के जगदीश साहू, पुत्र टेटकू साहू के साथ हुआ था। यह सन् '90 की बात है। ब्याह के दो महीने बाद गौना हो गया। उसके फौरन बाद ही उसे दहेज के लिए सताया जाने लगा। रेडियो, घड़ी, साईकिल आदि लाने को कहा गया। इसके लिए गाली-गलौज और मारपीट की जाती। ठगनी बाई की एक सहेली ने बताया कि उसका ससुर उस पर बुरी नज़र रखता था और वह इस बात के लिए तैयार नहीं थी।

6 अक्टूबर '91 को टेटकू राम ने खेत पर से अपनी पत्नी को तो घास लेकर घर भेज दिया। फिर अकेलेपन का फायदा उठाकर ठगनी बाई के साथ जबर्दस्ती करनी चाही। वह भागती हुई अपने पति के पास घर आई।

ठगनी बाई के ससुर ने कहा, "तुम्हारी जैसी लड़की मेरे घर में नहीं रह सकती। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के यहां छोड़ आता हूं।" ठगनी बाई तैयार हो गई और अपने पति तथा ससुर के साथ चल दी। लेकिन गांव से बाहर पहुंचने के बाद ससुर ने उसके पति को कहा, "खेत में घास रखा है, तुम घास लेकर घर चले जाओ। मैं बहू को पहुंचा आता हूं।"

सात-आठ दिन के बाद ठगनी बाई का पिता अपनी बड़ी लड़की के यहां से लौट रहा था तो उसकी साईकिल रास्ते में पंक्चर हो गई। वह तोरला रुक गया। वहां चुन्नीलाल ने उसे बताया कि उसकी छोटी लड़की तो आठ दिन पहले भाग गई थी। घर पहुंची या नहीं? तब मेहतरु, ठगनी का पिता उसकी ससुराल पहुंचा, वहां सिर्फ जगदीश था। उसने कहा उसके पिता बताएंगे कि ठगनी कहां है?

दूसरे दिन मेहतरु 40-50 लोगों के साथ वापस तोरला आया। तभी पुलिस वाले भी वहां पहुंचे। भीगी खाट पर एक लाश मिली थी। टेटकू राम भी वहां गया मगर उसने लाश पहचानने से इंकार कर दिया। जगदीश ने साड़ी और चूड़ी पहचान कर बताया कि लाश उसकी पत्नी ठगनी बाई की है। मेहतरु ने भी उन चीज़ों को पहचाना। उसी ने बेटी के लिए खरीदी थीं।

महिला पंचायत

ठगनी बाई के मामले में पंचायत की ज़रूरत हुई क्योंकि :—

1. ठगनी बाई को दहेज के लिए सताया जाता था। उसके भाई-बहन, पिता आदि सबने यह बताया।
2. 6 अक्टूबर '91 के हत्याकांड के बारे में शुरू में गांव वालों द्वारा कुछ भी बताने से इंकार करना। सब कुछ जानते हुए भी आवाज़ न उठाना।
3. पुलिस ने लाश का ठीक से पोस्टमार्टम नहीं कराया और लाश को लावारिस घोषित कर अंतिम दाह संस्कार कर दिया।
4. ठगनी बाई की उम्र सिर्फ 17 साल की थी और शादी के 2 साल के अंदर उसकी मौत असाधारण तरीके से हुई थी। पुलिस ने उसे आत्महत्या का मामला कहकर टाल दिया था।

पंचायत की बैठक में कुछ महिलाएं तोरला गांव की, सुंदरकेरा, परसदा की एक-एक तथा रायपुर की दो महिलाएं बुलाई गईं। इन्होंने गांव के सब लोगों से बातचीत कर जानकारी ली। जांच के दौरान उन्होंने पांच गांवों की महिलाओं, युवकों और पुरुषों से बातचीत की। नवापारा पुलिस चौकी के दरोगा और साहू समाज के प्रतिष्ठित लोगों से भी चर्चा कर जानकारी ली।

20 दिसंबर '91 की रैली एवं आम सभा में सात गांवों की महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। जुलूस के बाद साहू सदन के पास आम सभा हुई।

गांव के ज़्यादातर लोगों का मानना था— "ठगनी बाई तो मर गई। अब कुछ करने से क्या हासिल होगा।" एक स्थानीय नेता ने इस मामले को दबाने की कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद रैली हुई। पहले महिलाएं, फिर पुरुष और युवक भी शामिल हुए।

"टेटकू साहू का सामाजिक बहिष्कार करो" "साहू परिवार का गांव में हुक्का-पानी बंद करो", के नारे लगे।

महिला पंचायत की सिफारिशें

1. टेटकू राम साहू एवं उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाए।
2. ठगनी बाई के पति जगदीश साहू का दुबारा विवाह न होने दिया जाए।

संगठन की महिलाएं जानतीं हैं कि ठगनी बाई का मामला कानूनन् जुर्म है लेकिन यह एक सामाजिक अपराध भी है। कानून की लंबी व खर्चीली प्रक्रिया नहीं कर सकते तो सामाजिक ज़िम्मेदारी तो निभा सकते हैं। इस तरह के अपराधों से चुप रहकर मुंह नहीं मोड़ सकते।

—पुष्पा मसीह, अजित एक्का, रेणुका एक्का

साभार—आवाज़ औरत की